HARYANA GOVERNMENT
URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT
NOTIFICATION

The 12 - 10 ,2018

No. 3/1/2018-R-II:- The following draft of amendment in the Haryana Municipal Corporation Advertisement Bye-laws, 2018 which the Governor of Haryana proposes to make in exercise of the powers conferred by clause (16) of section 392 G of the Haryana Municipal Corporation Act, 1994 (16 of 1994), is hereby published as required under section 394 of the said Act, for information of persons likely to be affected thereby.

Notice is hereby given that the draft amendment shall be taken into consideration by the Government on or after the expiry of a period of fifteen days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, together with objections or suggestions, if any, which may be received by the Principal Secretary to Government, Haryana, Urban Local Bodies Department, Chandigarh from any person with respect to amendment of the following draft bye-laws, namely:—

Draft Bye-Laws

1. These bye-laws may be called the Haryana Municipal Corporation Advertisement (Amendment) Bye-laws, 2018.
2. In the Haryana Municipal Corporation Advertisement Byelaws, 2018 (hereinafter called the said bye-laws), in bye-law-2, in clause (1), in sub-clause (iii), forthe words "control area", the words "regulated area", shall be substituted.
3. In the said bye-laws, in bye-law 4, after clause (3), the following clause shall be inserted, namely:-
"(4) The Municipal Corporation shall refund 90% of registration fees to the agency/ owner whose request is rejected under clause (1). The 10% of registration fees shall be kept as scrutiny fee, as non-refundable."
4. In the said bye-laws, in bye-law 5, in clause (4), in the first line, for the words "property where", the words "property on which" shall be substituted.
5. In the said bye-laws, in bye-law 6, in clause (6), in the proviso,after the words "if the property", the word "owner" shall be inserted.
6. In the said bye-laws, in bye-law 8, in clause (1), in sub-clause (i), forthe words "as a result of a", the words "resulted in" shall be substituted.
7. In the said bye-laws, in bye-law 9, in clause (4), in sub-clause (vi), after the words "registered agencies", the words and brackets "or owner (for self-advertisement)" shall be inserted at the end.
8. In the said bye-laws, for bye-law 11, the following bye-law shall be substituted, namely:-
"11. (1) OMDs for the purposes of set out in **sub-clauses (i) to (viii)** below shall follow the provisions of these bye-laws in respect of all conditions set out in **Schedule I.** Such OMDs shall be exempted from payment of any registration fees/ application and permission fee/ application, namely:-
(i) relating to a public meeting, to an election to Parliament, Legislative Assembly, Corporation or to candidature in respect of such election; (may be installed on only authorized spaces identified/ earmarked by the Municipal Corporation);
(ii) if exhibited within the window of any building, the advertisement relates to the trade, profession or business carried in that building (only for self-advertisement to the extent of 2% area of building facade);
(iii) relating to the trade, profession or business carried on within the land or building upon or over which such advertisement is exhibited or to any sale or letting of such land or building or any effects therein or to analyze, entertainment or meeting to be held on or upon or in the same(only for self-advertisement to the extent of 2% area of building façade);
(iv) relating to the name of the land or building upon or over which the advertisement is exhibited, or to the name of the registered agency or occupier of such land or building;
(v) relating to the business of a railway administration and is exhibited within any railway station or upon any wall or other property of the railway administration;
(vi) relating to any activity of any department of the State Government or Union of India or the Municipal Corporation but excluding Board/ Corporations;
(vii) on a property where a building, swimming pool, tennis court, paving, fencing or garden landscaping or any other structure is in the course of being constructed, erected, carried out or altered and on which the activity concerned is described and the name of any architect, contractor or consultant concerned in such activity is displayed and the branch of the industry or the profession involved is specified;
(viii) media device for hawkerson stationary kiosk or handcarts. (only self-advertisement).
(2) However, in case of an unauthorized OMD(s) found installed or any provisions of the bye-law is violated at any stage, in reference to purpose set out in sub-clauses (i) to (viii), then unauthorized charge specified in the bye-law shall be levied from the violator and the unauthorized OMD shall be removed on "as and where basis"."
9. In the said bye-laws, in bye-law 23, in clause (1), for the word "charge", the words "unauthorized charge" shall be substituted.

10. In the said bye-laws, in Schedule-I,-

(i) In clause 16,-

a. In heading, for the words, signs and brackets "(Typology-J)", the words, signs and brackets "(Typology-I)" shall be substituted; and

b. after sub-clause (4), the following note shall be inserted, namely:-

"Note: If an OMD installed within a premise and toward building within the premise, but also visible from buildings on adjacent plots, shall be considered under Typology-I, in following circumstances:

(i) The angle of OMD surface (Horizontal or Vertical) towards the building on adjacent plot shall be at 45 degree (±5% variation allowed);

(ii) The distance of OMD from the building on adjacent plot shall not be less than fifty metres.

in clause 17,-

a. in sub-clause(10), after the words "any level", the following words, figure and signs shall be inserted at the end, namely:-

"subject to height defined in clause 11 of Schedule-I";

b. in sub-clause (12), after the words "the premises", the following words, sign and brackets shall be inserted at the end namely:-

"(for self-advertisement only)";

c. in sub-clause (13), after the words "on the site", the following words, sign and brackets shall be inserted at the end namely:-

"(for self-advertisement only)"; and

d. in sub-clause(29), in item (i), after the words "stretches shall", the word "not" shall be inserted.

Anand M. Sharan,
Principal Secretary to Government, Haryana,
Urban Local Bodies Department.

Endst. No. 3/1/2018- R- II Dated 12.10.2018

A copy is forwarded to the Controller, Printing & Stationery Department, Haryana, Chandigarh with the request that above notification (English and Hindi) may please be published in the Haryana Government Gazette (Extra Ordinary). He is requested to supply 150 printed copies of the said notification to this office for record.

Superintendent Committee-II
for Principal Secretary to Govt. Haryana,
Urban Local Bodies Department.

Endst. No. 3/1/2018- R- II Dated 12.10.2018

1. Director General, Information, Public Relation & Cultural Affairs, Haryana.
2. Director, Urban Local Bodies, Haryana, Bays No. 11-14, Sector-4, Panchkula.
3. All Deputy Commissioner, Haryana.
4. All Sub-Divisional Officers (C).
5. All Commissioner, Municipal Corpratioon.

Superintendent Committee-II
for Principal Secretary to Govt. Haryana,
Urban Local Bodies Department.

हरियाणा सरकार
शहरी स्थानीय निकाय विभाग
अधिसूचना

दिनांक , 2018

संख्या 3/1/2018–आर–II: – हरियाणा नगर निगम उप–विधियां, 2018 को आगे संशोधित करने के लिए उप–विधियों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का 16) की धारा 392–छ के खण्ड (16) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की धारा 394 के अधीन यथा अपेक्षित उन व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित करने का प्रस्ताव करते हैं जिनके इससे प्रभावित होने की सम्भावना है।

इसके द्वारा नोटिस दिया जाता है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से पंद्रह दिन की अवधि की समाप्ति पर अथवा इसके पश्चात् सरकार, संशोधन प्रारूप पर, ऐसे आक्षेपों अथवा सुझावों, यदि कोई हों, सहित, जो प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, चण्डीगढ द्वारा लिखित रूप में किसी व्यक्ति से निम्नलिखित प्रारूप उप–विधियों को संशोधित करने के संम्बन्ध में इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त किया जाएं, विचार करेगी।

प्रारूप उप–विधियां

उप विधियां हरियाणा नगर निगम विज्ञापन (संशोधन) उप–विधियां, 2018, कही जा सकती है।
हरियाणा नगर निगम विज्ञापन उप–विधियां, 2018 (जिन्हें, इसमे, इसके बाद, उक्त उप–विधियां कहा गया है) उप–विधि–2 में, खण्ड (1) में, उप–खण्ड (iii) में, "नियन्त्रित क्षेत्र" शब्दों के स्थान पर, "**विनियमित क्षेत्र**" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
उक्त उप–विधियों में, उप–विधि 4 में, खण्ड (3) के बाद, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा अर्थात्:–
"नगर निगम, अभिकरण / स्वामी जिसका अनुरोध खण्ड (1) के अधीन अस्वीकृत कर दिया गया है, को पंजीकरण फीस का नब्बे प्रतिशत प्रतिदाय करेगा। पंजीकरण फीस का दस प्रतिशत संवीक्षा फीस के रूप में, ...के रूप में रखा जाएगा"।
उक्त उप–विधियों में, उप–विधि 5 में, खण्ड (4) में, प्रथम पंक्ति में "जहां सम्पत्ति पर" शब्दों के स्थान पर, "...की सम्पत्ति पर" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
उक्त उप–विधियों में, उप–विधि 6 में, खण्ड (6) में, परन्तुक में:–
तृतीय पंक्ति में "किया गया" तथा चतुर्थ पंक्ति में "या" शब्द का लोप कर दिया जाएगा; तथा
तृतीय पंक्ति में "यदि" शब्द के बाद, "सम्पति स्वामी" शब्द रखे जाएगें ।
उक्त उप–विधियों में, उप–विधि 8 में, खण्ड (1) में, उप–खण्ड (i) में, "के परिणाम के रुप में" शब्दों के स्थान "परिणामस्वरूप" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा।
उक्त उप–विधियों में, उप–विधि 9 में, खण्ड (4) में, उप–खण्ड (vi) में, "रजीस्टर्ड अभिकरणों" शब्दों के बाद, "...स्वामी (स्वतः विज्ञापन के लिए)" शब्द तथा कोष्ठक रखे जाएंगे।
उक्त उप–विधियों में, उप–विधि 11 के स्थान पर, निम्नलिखित उप–विधि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:–
"11 (1) नीचे उप–खण्ड (i) से (viii) में बताए गए प्रयोजनों के लिए ओ.एम.डी, **अनुसूची** 1 में बताई गई सभी शर्तों के सम्बन्ध में इन उप–विधियों के उपबन्धों का सख्ती से पालन करेगा। ऐसी ओ.एम.डी को निम्नलिखित मामलों में किसी रजिस्ट्रेशन फीस/ आवेदन तथा अनुज्ञा फीस/ आवेदन के भुगतान से छूट प्राप्त होगी, अर्थात्:–

(i) सार्वजनिक बैठक, संसद, विधान सभा, निगम के निर्वाचन या ऐसे निर्वाचन के सम्बन्ध में उम्मीदवारी से सम्बन्धित; (नगर निगम द्वारा परिलक्षित/आबंटित (ईयरमार्क) केवल प्राधिकृत स्थानों पर लगाया जा सकता है);

(ii) यदि किसी भवन की खिड़की के भीतर प्रदर्शित किया जाता है, विज्ञापन उस भवन में चलाए गए व्यापार, व्यवसाय या कारबार से सम्बन्धित है (केवल भवन मुहर के दो प्रतिशत क्षेत्र की सीमा तक स्वतः–विज्ञापन के लिए) ;

(iii) भूमि या भवन, जिस पर ऐसा विज्ञापन प्रदर्शित किया जाता है, के भीतर व्यापार, व्यवसाय या कारबार या ऐसी भूमि या भवन या उसके किसी सामान के किसी विक्रय या किराए पर देने या विश्लेषण, मंनोरजन या उस पर या उसमें बैठक बुलाने से सम्बन्धित है (केवल भवन मुहर के दो प्रतिशत क्षेत्र की सीमा तक स्वतः–विज्ञापन के लिए);

(iv) भूमि या भवन, जिसके निकट या पर विज्ञापन प्रदर्शित किया गया है, के नाम से, या ऐसी भूमि या भवन के रजिस्टर्ड अभिकरण या अधिभोगी के नाम से सम्बन्धित है;

(v) रेलवे प्रशासन के कारबार से सम्बन्धित है तथा रेलवे प्रशासन के किसी रेलवे स्टेशन के भीतर या किसी दीवार या अन्य सम्पत्ति पर प्रदर्शित किया जाता है;

(vi) राज्य सरकार या भारत संघ या नगर निगम, किन्तु बोर्डे/निगमों को छोड़कर, के किसी विभाग की किसी गतिविधि से सम्बन्धित है;

(vii) सम्पत्ति, जहां कोई भवन, स्वीमिंग पूल, टैनिस कोर्ट, खंड़जा, बाड़ा या बाग का भू–दृश्य निर्माण या कोई अन्य संरचना निर्मित, परिनिर्मित, कार्यान्वित या परिवर्तित किए जाने के अनुक्रम में तथा

जिस पर सम्बन्धित कियाकलाप वर्णित किया जाता है तथा ऐसे कियाकलाप से सम्बन्धित किसी वास्तुकार, ठेकेदार अथवा परामर्शदाता का नाम प्रदर्शित किया जाता है तथा अन्तर्वलित उद्योग की शाखा या व्यवसाय विनिर्दिष्ट किया जाता है;

(viii) स्थायी छतरी या ठेले पर फेरी वाले के लिए मीडिया यन्त्र (केवल स्वतः—विज्ञापन के लिए)।

(2) तथापि, उप—खंड (i) से (viii) में निर्धारित प्रयोजन के संदर्भ में, यदि कोई अनधिकृत ओएमडी स्थापित पाई जाती है या उपविधि के किन्हीं उपबन्धों का किसी भी स्तर पर उल्लंघना होती है, तो उपविधि में विनिर्दिष्ट अनधिकृत प्रभार उल्लंघनकर्ता से उद्गृहीत किया जाएगा और अनधिकृत ओएमडी "जैसा और जहां आधार" पर हटा दिया जाएगा।"

9 उक्त उप—विधियों में, उप—विधि 23 में, खण्ड (1) में, "प्रभार" शब्द के स्थान पर, "अनधिकृत प्रभार" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा।

10 उक्त उप—विधियों में, अनुसूची—1 में,—

(i) पैरा 16 में,—

(क.) शीर्ष में, '(टाइपोग्राफी "जे")' को कोष्ठकों, शब्दो तथा चिह्नों के स्थान पर, '(टाइपोलोजी "झ")' कोष्ठक, शब्द तथा चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ख.) उप—पैरा (4) के बाद, निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा, अर्थातः—

"टिप्पणः यदि कोई ओएमडी किसी परिसर के भीतर और परिसर के भीतर की इमारत की ओर स्थापित है लेकिन आसन्न भूखंडों पर इमारतों से भी दिखाई देती है, तो निम्नलिखित परिस्थितियों में टाइपोलाजी 'झ' के अधीन विचार किया जाएगाः

(i) ओएमडी सतह का कोण (क्षेतिज या लम्बवत) आसन्न भूखंड पर इमारत की दिशा में 45 डिग्री पर होगा (5 प्रतिशत भिन्नता अनुमत);

(ii) आसन्न भूखंड पर की इमारत से ओएमडी की दूरी 50 मीटर से कम नहीं होगी।

(ii) पैरा 17 में,—

(क.) उप पैरा (10) में, "गैर प्रदीप्त पारदर्शी" शब्दों तथा चिह्न से पूर्व, "अनुसूची 1 के पैरा 11 में विनिर्दिष्ट उंचाई के अध्याधीन" शब्द तथा चिह्न रखे जाएंगे;

(ख.) उप पैरा (12) में, अन्त में, "(केवल स्वतः विज्ञापन के लिए)" कोष्ठक, शब्दों तथा चिह्न रखे जाएंगे; तथा

(ग.) उप पैरा (13) में, अन्त में, "(केवल स्वतः विज्ञापन के लिए)" कोष्ठक, शब्दों तथा चिह्न रखे जाएंगे।

आनंद एम. शरण
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
शहरी स्थानीय निकाय विभाग।